न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2023 G.C.M.S. No. 2023/23 दर्ज दिनांक : 17.02.2023

अपीलार्थी:

1. पुखराज उर्फ पकाराम पुत्र हकमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 71 वर्ष, निवासी लालराई, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2021 बअनवान पुखराज बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 10.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2021 बअनवान पुखराज बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि अपीलाण्ट को पुखराज व पकाराम के नाम से जाना पहचाना जाता है। अपीलाण्ट को गांव लालराई के खसरा नम्बर 645 मीन रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि दिनांक 05.02.1983 को आवंटन हुई थीं तथा कब्जा सुपुर्द किया था। माफिक आवंटन दिनांक 06.02.1983 को म्यूटेशन संख्या 73 द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया था, तदनुसार जमाबंदी में गैर खातेदार दर्ज किया गया। तत्समय भू–प्रबंध होने के कारण उपरोक्त खसरा नम्बर 645 का आवंटन सुदा रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा को हैक्टेयर प्रणाली में परिवर्तन करने पर 0.92 हैक्टेयर भूमि होती हैं, लेकिन उपरोक्त भू–प्रबंध के द्वारा बिना अधिकारिता के अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि 0.57 हैक्टेयर दर्ज कर दी। विधिनुसार भू–प्रबंध अधिकारियों को रकबा कम करने अथवा बढ़ाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त वाद को दर्ज कर रेस्पोंडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, तत्पश्चात् रेस्पोंडेण्ट द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं कर मौका फर्द दिनांक 24.11.2021 पेश की, उसी को जवाबदावा मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर दी और पत्रावली साक्ष्य के लिए नियत किये जाने पर अपीलाण्ट ने स्वयं के बयान करवाये, अन्य साक्ष्य के लिए पटवारी को तलब करवाया, लेकिन जानबूझकर पटवारी उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् बिना रेस्पोंडेण्ट की साक्ष्य के ही सीधे ही पत्रावली बहस के लिए नियत कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो अवैध है। अपीलाण्ट को 5 बीघा 15 बिस्वा अर्थात् 0.92 हैक्टेयर भूमि आवंटन की थी। आवंटन का अमलदरामद उपरोक्त रकबे का किया गया था, लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान, सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलत रूप से अपीलाण्ट के आवंटन सुदा रकबा में से 0.35 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी कम दर्ज कर दी, जिसका उन्हें कोई विधिक रूप से अधिकार नहीं था। वक्त आवंटन से अपीलाण्ट का 0.92 हैक्टेयर अर्थात् 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा है, बतौर खातेदार काबिज है। आज भी काबिज है, इसी संदर्भ में रकबा पूर्ण किये जाने अर्थात् 0.92 हैक्टेयर किये जाने बाबत् वाद पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत जाकर खारिज कर दिया। गत खसरा नम्बर 645 मीन के वर्तमान खसरा नम्बर 1131, 1132, 1133 दर्ज किये गये। अपीलाण्ट के नाम खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.57 हैक्टेयर दर्ज किया गया। शेष खसरा नम्बर 1132 व 1133 को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया। खसरा नम्बर 645 का कुल रकबा 46 बीघा 19 बिस्वा था, जिसकी किस्म बारानी दोयम थी, लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त खसरा नम्बर 645 के नये बने खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.57 हैक्टेयर अपीलाण्ट की खातेदारी दर्ज कर दी एवं खसरा नम्बर 1130 को गैर मुमकिन वाली तथा खसरा नम्बर 1138 को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी। रेस्पोंडेण्ट की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार भी अपीलाण्ट का कब्जा खसरा नम्बर 1131 व 1130 के रकबा 0.92 हैक्टेयर पर होना पाया गया है तथा दिनांक 05.02.1983 को आवंटन अनुसार 5 बीघा 15 बिस्वा का आवंटन होना भी स्वीकार किया गया है। यह भी स्वीकार किया कि वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 645 नये बने खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.57 हैक्टेयर दर्ज कर दिया। जबकि आवंटन आदेश अनुसार 0.92 हैक्टेयर आवंटित हुआ था, उक्त त्रुटि सेटलमेन्ट के दौरान होना स्वीकार किया और मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त 0.92 हैक्टेयर पर होना पाया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट का वाद आदेश 12 सीपीसी अनुसार स्वीकार कर डिक्री योग्य था, क्योंकि उपरोक्त मौका फर्द को ही जवाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई हैं, फिर भी अपीलाण्ट के वाद को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों की भारी भूल की हैं। इसके साथ ही पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबदावा माने जाने बाबत् कथन आदेशिका दिनांक 09.03.2022 में अंकित है। जबकि मौका फर्द न तो अभिवचन है, न ही जवाबदावा है, न ही इस सम्बन्ध में रेस्पोंडेण्ट का सत्यापन है, न ही किसी प्रकार का शपथ पत्र पेश किया गया, ऐसी स्थिति में न तो जवाबदावा माना जा सकता है, न ही इसके आधार पर तनकीयात कायम की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं समस्त दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 14 प्रस्तुत किये और साबित किये, जिसका कोई खण्डन रेस्पोडेण्ट की ओर से नहीं किया गया और अपीलाण्ट से कोई जिरह रेस्पोंडेण्ट द्वारा नहीं की गई, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की साक्ष्य को नहीं माने जाने का अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई कारण नहीं था। अपीलाण्ट की साक्ष्य के खण्डन में रेस्पोंडेण्ट की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई, ऐसी स्थिति में और अपीलाण्ट के वाद में वर्णित तथ्यों को मौका फर्द अनुसार स्वीकार किये जाने से स्वीकृति के आधार पर वाद स्वीकार योग्य था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध वाद खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सेटलमेन्ट के दौरान बिना अधिकारिता गलत किस्म दर्ज करने के आधार पर वाद खारिज करने और इस बाबत् धारा 16 के प्रावधान के तहत भूमि प्रतिबंधित होने बाबत् जो फाईडिंग अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई हैं और जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वाद खारिज किया गया है, वह फाईडिंग विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है। क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर गलत किस्म दर्ज की हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 16 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए उक्त विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जो कि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 15.02.2023 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के कृषक है। जिन्हें कानूनी जानकारी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय व अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलांट को जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 02.02.2023 को अपीलांट को वकील से मिलने पर अपीलाधीन फैसले की जानकारी हुई। जिसकी दिनांक 03.02.2023 को नकल आदि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है। जिसके निर्णयन के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से कारित होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अपीलांट द्वारा ग्राम लालराई के गत खसरा संख्या 645 मीन में से 05–15 बीघा भूमि वादी को दिनांक 05.02.1983 को आवंटित की गई तथा दिनांक 06.02.1983 को नामांतरण संख्या 73 द्वारा कब्जा सुपुर्द कर गैर खातेदार दर्ज किया गया। भूप्रबंध के दौरान बिना किसी नाप व जांच के वादी की आराजी 0.92 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर कम कर दी गई। जिसके नवीन खसरा संख्या 1131 होकर रकबा 0.57 हैक्टेयर दर्ज किया गया। जबकि मौके पर 0.92 हैक्टेयर पर आज भी कब्जाकाश्त है, के आधार पर वादी द्वारा कम रकबा दुरूस्त कर वादी को 0.57 हैक्टेयर की जगह 0.92 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम कर साक्ष्य उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसके विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा संख्या 645 मीन में से वादी को दिनांक 05.03.1983 को 05–15 बीघा आराजी आवंटित की गई तथा नामांतरण संख्या 73 दिनांक 06.02.1983 को गैर खातेदार दर्ज किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादी की आराजी में से कम किया गया 0.35 हैक्टेयर भूमि भूप्रबंध के दौरान किस खसरे में शामिल की गई तथा वर्तमान में उक्त रकबा किस खसरे की आराजी का भाग है, जिसमें से अपीलांट वादी अपने कम रकबे को जरिये घोषणा सही करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा संख्या 1131,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1132 व 1133 गत खसरा संख्या 645 मीन व 544 मीन से बनना स्पष्ट है। खसरा संख्या 1131 गत खसरा संख्या 645 मीन के साथ–साथ गत खसरा संख्या 544 मीन से भी बना है। जबकि वादी को गत खसरा संख्या 645 मीन में से ही भूमि आवंटित की गई थीं। पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार मौका फर्द अनुसार अपीलांट वादी का खसरा संख्या 1131 व 1130 में कब्जा काश्त होना अंकित है। खसरा संख्या 1131 वादी अपीलांट की खातेदारी आराजी है। जिसका रकबा 0.57 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 1130 रकबा 1.35 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन वाली है। चूंकि खसरा संख्या 1130 की आराजी की किस्म गैर मुमकिन वाली है, जोकि जल संरचना होने के कारण अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित आराजी है। साथ ही उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणीं में आती हैं। ऐसी भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः अपीलांट वादी का वादपत्र अधिनियम की धारा 16 से बाधित होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत काबिल खारिज भी था। अपीलांट वादी को भूमि आवंटन उपरांत गैर खातेदारी से खातेदारी भी प्रदान की जा चुकी हैं तथा उक्त खातेदारी 0.57 हैक्टेयर के लिए दी गई हैं। गैर खातेदारी के पश्चात वास्तविक कब्जेकाश्त एवं आवंटन शर्तों की अनुपालना की दशा में ही खातेदारी प्रदान की जाती हैं तथा वादी द्वारा उसे 0.57 हैक्टेयर की गैर खातेदारी से खातेदारी दिए जाने का तत्समय कोई विरोध नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा उक्त आदेश को स्वीकार किया गया। जिससे अपीलांट वादी आबद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट वादी का वादपत्र खारिज किया गया। जिसमें हमारे विनम्र मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2021 बअनवान पुखराज बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.08.2022 की पुष्टि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली